



2000 रुपए के 98 फीसदी नोट वापस आए, चलन से पूरी तरह बाहर

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दो हजार रुपए के नोटों पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि चलन से बाहर हुए इन नोटों का 98 फीसदी हिस्सा अब तक वापस आया है। 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को बंद करने वाले घोषणा की गई थी। उस समय बाजार में इन नोटों का कुल मूल्य करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए था। अब यह आंकड़ा घटकर सिफे 7,117 करोड़ रुपए गया है, जो यह बताता

आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना

है कि ज्यादातर 2000 रुपए के नोट जमा हो गया था एक्सचेंज लाइसेंस दिलाया गया है। आरबीआई ने इन्हें धीरे-धीरे वापस लेने का फैसला लिया। लागतों को 7 अक्टूबर 2023 तक अपने 2000 रुपए के नोट अब स्थग्न गया है। कि 2000 रुपए के नोट अब रोबर्पूरी तरह से चलन से बाहर हो चुके हैं। 18 नवंबर 2016

को जब भारत में नोटबंदी लागू की गई थी, उस समय 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था और 2000 रुपए के नोटों को चलने में लाया गया था ताकि नकदी संबंध से नियां जा सके लेकिन 2023 में आरबीआई ने इन्हें धीरे-धीरे वापस लेने का फैसला लिया। लागतों को 7 अक्टूबर 2023 तक अपने 2000 रुपए के नोट अब स्थग्न गया है। इसके बाद स्थग्न गया है, जो लोग समय सीमा में अपने

नोट जमा नहीं कर पाए थे, उन्हें आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस और डाकघरों के जरिए ऐसे वह सुविधा दी गई। आरबीआई ने पहले एक सितंबर 2024 के बाद अपडेट जारी किया था, जिसमें यह बाजार गया था कि 30 अगस्त 2024 तक 2000 रुपए के कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। तब बैंकिंग प्रणाली में 7,261 करोड़ रुपए के नोट चलने में थे, जो अब घटकर 7,117 करोड़ रुपए हैं।

न्यूज़ ब्राफ़

निवेशकों को हो रहे नुकसान को शोकने सेवी ने किए छह सुधारात्मक उपाय, अनुबंधों का आकार 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया।



नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अटकलबाजी और खुदरा निवेशकों को हो रहे भारी नुकसान पर रोक लगाने के लिए छह सुधारात्मक उपायों का ऐलान किया है। सेबी के अनुबंध इन उपायों को इंटरेटिव बाजार में स्थिरता लाना और निवेशकों को द्वितीय वापसी तय करना है। सेबी के मुताबिक इन उपायों का गोला वापसी में 93 फीसदी से ज्यादा खुदरा निवेशकों को वापस एवं विकल्प (एफडीओ) सेपेट में कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। इन्हीं बड़ी मात्रा में वापस होने से आरबीआई और मुख्य आंशिक सालाहकार राहित अव्यय वित्तीय नियामकों ने भी चिंता जताई थी। इसको ध्यान में रखते हुए सेबी ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग ट्रांजे में आहम बदलाव किए हैं। अपने डेरिवेटिव अनुबंधों का आकार 5 लाख से लाख रुपए कर दिया गया है। यह पहली बार है कि जब पिछले 9 साल में अनुबंध के आकार में कोई बदलाव किया गया है। वही शर्त योजना अनुबंधों पर अतिरिक्त 2 फीसदी का अत्यधिक नुकसान मार्जिन की गया था, जो 20 नवंबर 2024 से लागू होगा। ब्रॉकरों को अब आंशिक खरीदारों से प्रीमियम अंग्रिम में लाना अनिवार्य होगा, जिससे इडाउट ट्रेडिंग में अत्यधिक लाभ उठाने से रोका जा सकता है। साथाने निपाटक एक बैंकिंग अवधि का उत्तर सीमित किया गया है। इससे अत्यधिक अटकलबाजी और बाजार में अस्थिरता कम होगी। स्टॉक एक्सचेंजों का निवेश दिया गया है। यह पहली बार है कि अधिक अवधि के आधार पर नजर रखें। यह नियम अप्रैल 2025 से लागू होगा। नियामन के दिन अलग कैलेंडर की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, ताकि बाजार में समन्वय और पारदर्शिता मानवाना हो। सेबी के इन बदलावों का उद्देश्य खुदरा निवेशकों को हो रहे भारी नुकसान को कम करना और डेरिवेटिव बाजार में स्थिरता लाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम आने वाले समय में खुदरा निवेशकों को सुधारित निवेश वातावरण प्रदान करने में मद्दतार मानिया होगा।

पंजाब की मान सरकार ने बढ़ाया नजदीकी शुल्क, सरकार पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ।



चंडीगढ़। पंजाब की अनंत मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को मान सरकार ने राहत दी है। पंजाब के सीधे भवित्व मान ने अनंत की लौटिंग और अनलैनिंग के लिए नजदीकी शुल्क एवं बदलाव का ऐलान किया है। मन्दिरी शुल्क में एक रुपए प्रति किलो की बढ़ाती की गई है। यह कदम मंडियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए राहत देने वाला बताया जा रहा है। इस वृद्धि से राज्य के खजाने पर करीब 18 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। सीएम की इस घोषणा के साथ ही खरीद विनापन सत्र 2024-25 के लिए धन की खरीद भी शुरू हो गई है। संपर्क मान ने अपने मंडियों की विवाहितों को निवेश की दिशा दिया है कि वे राज्य की मंडियों को तोड़ कराएं। उन्होंने जो देकर कहा कि इस प्रक्रिया को चुवारू और परेशन सुकर किया जाए ताकि किसानों की किसी भी तरह की असुविधा का सामना न कराया जाए। उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि अब जल्दी से सुरक्षित बनाना है। इसके अलावा, विनियम के नेशनल विलेज कोड का पालन अनिवार्य होगा। इस बदलाव का उद्देश्य भवतों की संरक्षण को और ज्यादा मजहूल और सुरक्षित बनाना है। टाउन एंड कट्टी प्लानिंग में भूमि विकास नियम-2012 में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। अब जल्दी से सुरक्षित बनाना है। टाउन एंड कट्टी प्लानिंग की विवाहितों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए नियमों की विशेषताएं में सभी दुकानों और आवासों में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। इससे आगजनी की घटनाओं में कमी आपड़ी है।

अब नाया प्रदेश ने कमर्शियल क्षेत्र के प्लॉट एरिया को किया जाएगा दोगुना।

भोपाल। मध्य प्रदेश के कमर्शियल क्षेत्रों में भवन नियमण को लेकर बदलाव होने वाले हैं। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेशभर में कमर्शियल क्षेत्र के प्लॉट एरिया रोशनीयों को बढ़ावा दिलाएगा। इसके अलावा, विनियम के नेशनल विलेज कोड का पालन अनिवार्य होगा। इस बदलाव का उद्देश्य भवतों की संरक्षण को और ज्यादा मजहूल और सुरक्षित बनाना है। टाउन एंड कट्टी प्लानिंग में भूमि विकास नियम-2012 में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। अब जल्दी से सुरक्षित बनाना है। टाउन एंड कट्टी प्लानिंग की विवाहितों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए नियमों की विशेषताएं में सभी दुकानों और आवासों में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। इससे आगजनी की घटनाओं में कमी आपड़ी है।

